रसद मामला संख्या–40 / 2022
राज.सरकार बनाम समत बरेज

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या–40 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022 / 52

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		समत बरेज पुत्र मोहम्मद अनवर निवासी तेलियों का मौहल्ला खजवाना तहसील मूण्डवा।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री सहदेव चौधरी एवं अप्रार्थी स्वंय।

निर्णय

दिनांक –15-06-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा 9 ड्रमों मय 1890 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि दिनांक 25.09.2021 को जिला रसद अधिकारी, नागौर को कुचेरा पुलिस द्वारा दूरभाष पर खजवाना में बायो डीजल के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी नागौर के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक सहित पुलिस थाना कुचेरा पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा से प्राप्त तहरीर के आधार पर ब्राहामणों का बाडा तेलियों का मौहल्ला खजवाना पहुचें। मौके पर पुलिस जाब्ता श्री जगदीश कानिस्टेबल बेल्ट नं. 176 तैनात पाये गये। मौका निरीक्षण करने पर मौके पर पुलिस थाना कुचेरा द्वारा डिटैनशुदा कुल 9 ड्रम जिनमें 7 लोहे के व 2 प्लास्टिक के ड्रम पाये गये जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। पुलिस थाना कुचेरा से प्राप्त तहरीर के अनुसार इस पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण श्री हकीम पुत्र श्री सदीक निवासी तेलियों का मौहल्ला खजवाना द्वारा किया जाना बताया गया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी श्री समत बरेज ने बताया कि ड्रमों मे पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण उसके द्वारा ही किया गया है। अप्रार्थी के बयान दर्ज कर पूछताछ करने पर उसके स्वीकार किया कि उसके कृषि उपयोग हेतु 1800लीटर डीजल खरीदकर ब्रहमणों का बाडा किराये पर लेकर ये सभी डीजल से भरे 9 ड्रम बाडे मे रखवाये गये। अप्रार्थी से उक्त डीजल का कय के बिल मांगे जाने पर उसके पास क्रय बिल नही होना स्वीकार किया। अप्रार्थी से श्री हकीम के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि वह उसका चचेरा भाई है और एक ही परिवार मे रहते है। श्री हकीम को मौके पर बुलाये जाने पर भी मौके पर उपस्थित नही हुआ। मौके पर अप्रार्थी से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय सम्बन्धी किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर, उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होना स्वीकार किया। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोलियम [illegible] विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न [illegible] पर डिटैनशुदा सभी 9 ड्रमों को खोलकर देखने व सूंघने पर [illegible] गया। डिटैनशुदा सभी 9 ड्रमों मे भरे हुए पेट्रोलियम पदा[illegible]ड से माप[illegible] पर प्रत्येक ड्रम में 210 लीटर अर्थात कुल 9 ड्रमों में कुल 1890 [illegible] उक्त पेट्रोलियम प[illegible] एफएसएल जांच हेतु विधिवत का[illegible] गया। पेट्रोलियम पदा[illegible] लेने के पश्चात सभी 9 ड्रमों को पुनः बन्द कर पेट्रोलि[illegible] पदार्थ के नमूनों की जांच रिपोर्ट [illegible] होने तक के लिए डिटैनशुदा 9 ड्रमों मय 1890 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिया गया। आर.एफ.एस.एल. जोधपुर से नमूना जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 0.7780 At 15°C व प्लैस पोईंट 62°C (abel) पाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:52 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या–40/2022
राज.सरकार बनाम समत बरेज

उक्त पेट्रोलियम पदार्थ क्लास–बी. की श्रेणी का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ पाये जाने पर दिनांक 19.01.2022 को उक्त डिटैनशुदा 1890 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम की जब्ती व अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी नागौर मय प्रवर्तन अधिकारी, एवं प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना कुचेरा पहुंचकर मौके पर अप्रार्थी को बुलाया गया किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डार, व्यापार एवं परिवहन से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये।

2(1)–हस्तगत प्रकरण में आर.एफ.एस.एल. जोधपुर से नमूना जांच रिपोर्ट क्रमांक–RFSL(JOD)/6233/CAE/136/21 दिनांक 24.12.2021 प्राप्त हुई थी, जो धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ पेश की गई थी, परन्तु तत्पश्चात अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर ने अपने पत्रांक–116 दिनांक 10.03.2022 में "पत्रावली में मय प्रादर्श की इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 08.10.2021 को जारी प्राप्ति रसीद एवं तदोपरान्त H-FORM क्रमांक RFSL(JOD)/6232/CAE/21/135 में अग्रेषण पत्र क्रमांक–1712 प्रकरण दिनांक 24.09.2021 अंकित गई है, जिसे अग्रेषण पत्र क्रमांक–1712 प्रकरण दिनांक 25.09.2021 पढ़ा जावे" का उल्लेख करते हुए FORM-H S.No. RFSL(JOD)/6234/CAE//137/21/112 तथा रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 293 सीआरपीसी क्रमांक– RFSL(JOD)/6232/CAE/135/21 दिनांक 21.12.2021 भिजवाई गई, जो आज पेश कर निवेदन है कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 21.12.2021 के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी 0.7768 At 15ºC व प्लैस पोईट 61.5ºC (abel) है। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ क्लास–बी. की श्रेणी का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है। अप्रार्थी का यह कृत्य MS & HSD आदेश 2005 की धारा 2, 3 व 4 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः वास्ते सबूत उक्त 9 ड्रम मय 1890 पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त सरकार किया जाकर उक्त जब्त शुदा 9 ड्रम मय 1890 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कुचेरा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तसुदा 9 ड्रमों मय 1890 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का निवेदन किया है।

3. प्रकरण में अप्रार्थी समतबरेज ने जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में रसद विभाग द्वारा दिनांक 25.09.2021 को 1890 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का प्रार्थी से कोई लेना देना नहीं है। उक्त पेट्रालियम पदार्थ को राजसात करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं होने का कथन करते हुए प्रकरण में उचित निर्णय आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा मय प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक के मौके पर से 1890 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया, अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर उक्त जब्तशुदा 1890 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ से स्वंय का कोई लेना–देना नहीं होने का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने पर कोई आपत्ति ऐतराज नहीं होना अवगत कराया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार कि[illegible] प्रकरण में जब्तसुदा 1890 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को समपहरण (Confiscate) किया जाता है [illegible] में जब्तशुदा 1890 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार उचि[illegible] निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया जाता है। [illegible] कीमतन [illegible] से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है, साथ ही [illegible] राजकोष में जमा करवाने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया [illegible] निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:52 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर